



अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव सचिन पायलट जब उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट पहुँचे तो कांग्रेस पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाडों के साथ माला, उपरणा ओढ़कर उनका स्वागत किया। पायलट रात्रि विश्राम सर्किट हाउस में करेंगे एवं शनिवार को गजेन्द्र सिंह शक्तावत की पुण्यतिथि के अवसर पर, गजेन्द्र सिंह शक्तावत प्रवेश द्वार निर्माण समिति द्वारा एम्बी कॉलेज ग्राउंड पर नवनिर्मित प्रवेश द्वार का उद्घाटन करेंगे। पूर्व शहर प्रवक्ता फ़िरोज अहमद शेख ने बताया कि, पायलट के आगमन पर डबोक एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे।

मत्स्य विभाग का निदेशक रिश्वत लेते गिरफ्तार

जयपुर, 19 जनवरी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने शुक्रवार को मत्स्य विभाग के निदेशक प्रेमसुख विरनोई और सहायक निदेशक राकेश देव को, जयपुर में टोंक रोड स्थित कार्यालय में 3.5 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। एसीबी टीमों ने दोनों अधिकारियों के जयपुर और बीकानेर स्थित घर और ऑफिस में सर्च की कार्रवाई कर रही है। एसीबी के कार्यवाहक महानिदेशक हेमंत प्रियदर्शी ने बताया कि, परिवर्तनीय ने अगस्त में टोंक में अन्नपूर्णा तालाब में फिश फार्मिंग के लिए एंडर लिया था। नवंबर में उसने मछली पकड़ने और परिवहन लाइसेंस के लिए डिमांड की, लेकिन उसे लाइसेंस नहीं दिया गया। जिसके बाद वह लाइसेंस के लिए कई बार चक्कर लगा चुका था। उसे कहा गया कि, एक लाख रुपए की व्यवस्था करो। इस पर परिवर्तनीय ने गुरुवार को एसीबी से सम्पर्क किया। एसीबी ने शिकायत का वैरिफिकेशन कराया जिसके बाद सूचना कन्फर्म होने पर ट्रेप की कार्रवाई की गई।

■ **आई.ए.एस. प्रेमसुख विरनोई तथा सहायक निदेशक राकेश देव को अपने कार्यालय में रिश्वत लेते ए.सी.बी. ने रंगे हाथ पकड़ा।**

उप महानिरीक्षक पुलिस डॉ. रवि के सुपरविजन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु कुलदीप के निर्देशन में एसीबी की टीम ने शुक्रवार को सहायक निदेशक राकेश देव को 3.5 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। राकेश देव ने यह पैसा निदेशक प्रेमसुख विरनोई के कहने पर लिया था। इस लिए निदेशक को भी ट्रेप किया गया। एसीबी के पास दोनों ही अधिकारियों के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। एसीबी के अधिकारियों ने देर रात तक टोंक रोड स्थित मत्स्य विभाग के कार्यालय में सर्च की कार्रवाई की। इसके बाद दोनों अधिकारियों को एसीबी मुख्यालय लाकर पूछताछ की।

पीतमपुरा आग में 6 मरे

नयी दिल्ली, 19 जनवरी। उत्तर-पश्चिम दिल्ली के पीतमपुरा इलाके में एक चार मंजिला मकान में आग से झूलसकर मरने वालों की संख्या शुक्रवार को बढ़ कर छह हो गई। पुलिस उपायुक्त जितेंद्र मीणा ने बताया कि मौर्या एन्क्लेव थाना क्षेत्र में गुरुवार रात जेपी ब्लॉक के एक मकान में आग लग गई थी, जिसमें अब तक चार महिलाएं समेत छह लोगों की मृत्यु की पुष्टि अस्पताल की ओर से की गई। उत्तर-पश्चिम जिला उपायुक्त के अनुसार, मृतकों की पहचान पीतमपुरा जेपी ब्लॉक निवासी राकेश गुप्ता (62) उनकी पत्नी रेनु गुप्ता (62) और बेटी श्वेता (30) के अलावा शांतीमार बाग इलाके सिंगलपुर गांव के निवासी संतोष (25), पीतमपुरा जेपी ब्लॉक निवासी कीर्ति (25) और उसकी बहन शानु वर्मा (27) के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि इस हादसे के मामले में मौर्या एन्क्लेव थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 285, 336 और 304ए के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।

दिल्ली अग्निशमन विभाग के निदेशक अतुल गर्ग ने बताया कि आग लगने की सूचना गुरुवार रात करीब आठ बजे मिलते ही मौके पर दमकल की आठ गाड़ियां रवाना कर दी गईं। दमकल कर्मियों ने भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गंभीर रूप से झुलसी हुई हालत में सात लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि इस भीषण हादसे में गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति का इलाज चल रहा है।

गुरुमीत ...

■ **प्रथम पृष्ठ का शेष**
में सजा कट रहे व्यक्ति को बार-बार पैरोल दी जाती है, वहीं दूसरी ओर तीन दशकों से जेलों में बंद सिखों के प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। एडवोकेट धामी ने कहा कि, राजनीतिक स्वार्थ के लिए यह आपराधिक है कि सरकार गुरुमीत राम रहीम के जन्म-दिनांक पर आंखें मूंद लेती है। उसे बार-बार छोड़ देती है और यह पीड़ितों के घावों पर नमक छिड़कने वाली कार्रवाई है जिस पर एसजीपीसी कड़ी आंखें जताती है।

11 वर्षीय दुष्कर्म ...

■ **प्रथम पृष्ठ का शेष**
देने से इनकार कर दिया है। वहीं अदालत ने पीड़िता की डिलीवरी कराने के संबंध में राज्य सरकार को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने कहा कि मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि भ्रूण धड़कन सहित विकसित हो चुका है और गर्भपात कराना खतरनाक हो सकता है। जस्टिस अनूप डंड को एकलपीठ ने यह अधीक्षक पीड़िता के चयन करने के लिए याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने राज्य सरकार को कहा है कि वह पीड़िता को बालिका गृह में भर्ती कर आवश्यक देखभाल, फूड और मेडिकल सहायता उपलब्ध कराए। इसके साथ ही बालिका गृह अधीक्षक पीड़िता के चयन करने के लिए याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने एसीएस चिकित्सा को कहा है कि वह पीड़िता का सुरक्षित प्रसव कराने के लिए महिला नर्स नियुक्त करें। वहीं महिला चिकित्सालय के अधीक्षक डिलीवरी से पहले और बाद के लिए समस्त चिकित्सा सुविधाएं बिना शुल्क उपलब्ध कराए। अदालत ने कहा कि बच्चे के जन्म के बाद उसे बाल कल्याण कमेटी को सौंपा जा सकता है और पीड़िता अपने अभिभावक के माध्यम से बच्चे की अभिरक्षा लेने के लिए दस्तावेज पेश करें। इस दौरान यदि बच्चे को किसी दंपति को गोद दिया जाता है तो इसमें पीड़िता को कोई आपत्ति नहीं होगी। अदालत ने यह भी कहा है कि भ्रूण के नाल सहित अन्य चीजों को डीएनए जांच के लिए संरक्षित रखे। इसके अलावा अदालत ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश दिए हैं कि वह पीठित प्रतिरक्षक स्क्रीम के तहत पीड़िता को तीन माह में मुआवजा दे और मुआवजा राशि को पीड़िता के चयन करने के लिए एफडी के रूप में रखा जाए। याचिका में कहा गया कि वह 11 साल की है और दुष्कर्म के कारण गर्भवती हो गई है। वह सामाजिक और स्वास्थ्य कारणों के चलते बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती है।

ए.आर.सी.पी. का क्रियान्वयन मिशन... राहुल की यात्रा की ...

■ **प्रथम पृष्ठ का शेष**
“ई.आर.सी.पी. को वर्ष 2051 तक पूरा किया जाएगा।” यह कथन दर्शाता है कि कांग्रेस की तत्कालीन सरकार 28 वर्षों तक इस योजना को लटकाकर भटकना चाहती थी। इतने लंबे असें में तो दो-तीन पीढ़ियां निकल जाती है।

शुक्रवार से शुरू हुए 16वें विधानसभा के प्रथम सत्र में राज्यपाल कलराज मिश्र ने अभिभाषण के लिए भवनलाल सरकार के विजन को पक्ष-विपक्ष के सामने रखा। राज्यपाल ने कहा कि पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के घोड़ालों की भी जांच होगी। गवर्नर ने कहा कि पिछली सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को बंद नहीं किया जाएगा। कलराज मिश्र ने कहा कि पिछले 5 साल में राज्य का कर्ज 2 लाख करोड़ से ज्यादा बढ़ा है। इससे प्रति व्यक्ति कर्ज करीब 70 हजार रुपए तक पहुंच गया है। राजस्थान पर साल 2019 तक कुल कर्ज 3.39 लाख करोड़ रुपए था, जो कि अब बढ़कर 5.59 लाख करोड़ रुपए हो गया है। यदि प्रति व्यक्ति में

मध्य प्रदेश के दो कांग्रेस नेता भाजपा में

नयी दिल्ली, 19 जनवरी। मध्यप्रदेश में ग्वालियर चंबल क्षेत्र के दो वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने शुक्रवार को केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के हाथों भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सदस्यता ग्रहण की। मुरैना से विधायक रहे राकेश मावई और शिवपुरी के पूर्व जनपद पंचायत अध्यक्ष पारस सिंह रावत ने राजीव गांधी भवन स्थित नागरिक उड्डयन मंत्रालय में

■ **चम्बल क्षेत्र के इन दोनों नेताओं को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सदस्यता ग्रहण करायी।**

सिंधिया से मुलाकात की। सिंधिया ने उन्हें भाजपा के अंगवस्त्र पहनाये और सदस्यता की औपचारिकताएं पूरी करायीं। मावई और रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में आस्था व्यक्त की और भाजपा में शामिल किये जाने के लिए आभार प्रकट किया।

बिलकिस मामले के दोषियों को मोहलत नहीं मिली

■ **सुप्रीम कोर्ट ने आत्मसमर्पण के लिये और समय देने की याचिका खारिज की।**

नयी दिल्ली, 19 जनवरी। उच्चतम न्यायालय ने 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म और उसके परिवार के सात लोगों की हत्या के दोषियों की आत्मसमर्पण करने के लिए समय बढ़ाने की उनकी याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति बी वी नागल्ला और न्यायमूर्ति उज्वल भुइयां की पीठ ने दोषियों को गुहार यह कहते हुए खारिज कर दी कि उनके आत्मसमर्पण के लिए मोहलत की मांग वाले आवेदनों में कोई ठोस आधार नहीं है, जिससे उस पर विचार किया जा सके। शीर्ष अदालत ने कहा कि सभी दोषियों को 21 जनवरी को जेल प्रशासन के समक्ष आत्मसमर्पण करना होगा। शीर्ष अदालत इस मामले के 11 दोषियों को गुजरात सरकार की माफी नीति के तहत दी गई सजा में छूट को आठ जनवरी को अवैध करार देते हुए उसे रद्द कर दिया था। इसके साथ ही, अदालत ने उन्हें जेल प्रशासन के समक्ष दो सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था, जिसकी अवधि 21 जनवरी को समाप्त

राहुल गांधी की सदस्यता बहाली को चुनौती देने की याचिका पर एक लाख का जुर्माना

नयी दिल्ली, 19 जनवरी। उच्चतम न्यायालय कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता बहाल करने की सात अप्रैल 2023 की अधिसूचना रद्द करने की मांग वाली एक याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।

■ **सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर के लखनऊ के वकील अशोक पांडे को अदालत का समय बर्बाद करने के लिये जुर्माना लगाया।**

न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने लखनऊ के वकील अशोक पांडे की याचिका खारिज करने के साथ-साथ उन्हें आदेश दिया कि इस अदालत का समय बर्बाद करने के एवज (जुर्माने की तरह) में वह एक लाख रुपए जमा करा दें।

उच्चतम न्यायालय कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता बहाल करने की सात अप्रैल 2023 की अधिसूचना रद्द करने की मांग वाली एक याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति बी वी नागल्ला और न्यायमूर्ति उज्वल भुइयां की पीठ ने दोषियों को गुहार यह कहते हुए खारिज कर दी कि उनके आत्मसमर्पण के लिए मोहलत की मांग वाले आवेदनों में कोई ठोस आधार नहीं है, जिससे उस पर विचार किया जा सके। शीर्ष अदालत ने कहा कि सभी दोषियों को 21 जनवरी को जेल प्रशासन के समक्ष आत्मसमर्पण करना होगा। शीर्ष अदालत इस मामले के 11 दोषियों को गुजरात सरकार की माफी नीति के तहत दी गई सजा में छूट को आठ जनवरी को अवैध करार देते हुए उसे रद्द कर दिया था। इसके साथ ही, अदालत ने उन्हें जेल प्रशासन के समक्ष दो सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था, जिसकी अवधि 21 जनवरी को समाप्त

में अनियमितता आदि भ्रष्टाचार की जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अक्षय ऊर्जा का अधिक उपयोग कर राज्य को बिजली के मामले में आत्मनिर्भर किया जाएगा। राज्यपाल ने कहा कि महात्मा गांधी का नाम से शुरू हुए अंग्रेजी स्कूलों की समीक्षा की जाएगी। क्योंकि ये केवल नाम के अंग्रेजी स्कूल हैं, यहां न तो शिक्षक हैं और न ही क्लासरूम। इन स्कूलों को खोलने का निर्णय राज्यपाल ने किया। आयुष्मान योजना को चिरंजीवी योजना का नाम देकर वाहवाही लटूने का प्रयास किया गया था, इसलिए अब इस योजना का भी रिव्यू होगा और आयुष्मान योजना को ही जन केंद्रित बनाकर प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा। पिछले 5 वर्षों में होने वाले भ्रष्टाचार की जांच की जाएगी। इसमें जल जीवन मिशन में हुए घोटाले की भी जांच की करवाई जाएगी। राज्यपाल ने कहा कि व्यावहारिक मुआवजा नीति भी निर्धारित जाएगी। जिससे पिछली सरकार के कार्यकाल में जिन किसानों की जमीनें नीलाम हुई थीं,

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का 25 जनवरी को जयपुर में हो सकता है रोड शो

जयपुर, 19 जनवरी (का.सं.)। देश के 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस बार फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों मुख्य अतिथि होंगे। दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने से पहले मैक्रों जयपुर भ्रमण पर रहेंगे। संभावना जताई जा रही है कि एयरपोर्ट पर स्वागत के बाद फ्रांसीसी राष्ट्रपति का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रोड शो भी हो सकता है। यहां उपमुख्यमंत्री दिवा कुमारी के आवास सिटी पैलेस में शाही अंदाज के साथ उनके लिए रात्रि भोज का आयोजन किया जा सकता है।

फ्रांस के राष्ट्रपति जयपुर के गौरवशाली इतिहास को जानने के उद्देश्य से आमेर किला, हवा महल और जंतर मंतर का भी दौरा करेंगे। साथ ही। इस वीवीआईपी मूवमेंट को लेकर जयपुर में जोर-शोर से तैयारी चल रही है। जयपुर जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित और हेरिटेज निगम कमिश्नर अभिषेक सुरणा सहित कई अधिकारियों ने शुक्रवार को परकोटा क्षेत्र का विजिट किया और यहां सफाई व्यवस्था, आवागार निराश्रित पशु और अवैध अतिक्रमण को लेकर उचित दिशा निर्देश भी दिए। वहीं, जंतर मंतर का विजिट करते हुए वहां लगे प्राचीन यंत्रों के बारे

■ **फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री भी रहेंगे जयपुर दौरे पर।**

में भी फ्रांसीसी राष्ट्रपति को दी जाने वाली जानकारी जुटाई। यह वीवीआईपी विजिट हेरिटेज नगर निगम क्षेत्र में हवा महल, जंतर मंतर और आमेर के साथ परकोटा के मुख्य मार्ग में होने वाली है। 22 जनवरी को भी एक भव्य आयोजन होना है, और उसके बाद 25 तारीख को ये वीवीआईपी विजिट है।

बता दें कि बीते दिनों पीएम नरेंद्र मोदी भी फ्रांस के दौरे पर रहे थे। उस दौरान पीएम मोदी का भव्य स्वागत सत्कार किया गया था। उसी तर्ज पर यहां फ्रांसीसी राष्ट्रपति के सम्मान में शाही अंदाज में स्वागत और शाही डिनर की प्लानिंग की जा रही है। बताया जा रहा है कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति के भारत दौरे के दौरान दोनों देश मिलिटी- इंडस्ट्रियल साझेदारी शुरू करेंगे जो स्थानीय मैनुफैक्चरिंग की मजबूती पर आधारित होगी।

इधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में

■ **फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री भी रहेंगे जयपुर दौरे पर।**

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के आगमन की तैयारियों को उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक उन्होंने अधिकारियों को मैक्रों के आवास, सुरक्षा, परिवहन, खानपान, पर्यटन सहित सभी जरूरतों का विशेष ध्यान रखने के लिए दिशा-निर्देश दिए। बैठक में मुख्य सचिव सुधांशु पंत, पुलिस महानिदेशक यू. आर. साहू, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह आनन्द

■ **सुप्रीम कोर्ट ने आत्मसमर्पण के लिये और समय देने की याचिका खारिज की।**

गुजरात सरकार के फैसले को अवैध करार देते हुए आठ जनवरी को रद्द कर दिया था। न्यायमूर्ति नागरला और न्यायमूर्ति भुइयां की पीठ ने अपने फैसले में कहा था कि, इस मामले में सजायाफ्ती के मुद्दे पर फैसला लेना गुजरात सरकार के अधिकारक्षेत्र में नहीं आता, इसलिए सजायाफ्ती देने का सरकार का फैसला रद्द किया जाता है।

पीठ ने कहा था कि, मुकदमे की सुनवाई महाराष्ट्र की अदालत में हुई थी, इसलिए सजायाफ्ती का फैसला लेना वहां की सरकार के अधिकारक्षेत्र में आता है। गुजरात सरकार की 1992 की माफी नीति के तहत बाकाभाई जोहानिया, जसवंत नाई, गिरीश भट्ट, राधेश्याम शाह, विपिन चंद्र जोशी, केशवभाई जोहानिया, प्रदीप मोहं वाडिया, राजूभाई सोनी, मितेश भट्ट और रमेश चांदना को 15 अगस्त 2022 को गोधरा एप कारागार से रिहा कर दिया गया था। रिहा करने के फैसले को बिलकिस और अन्य की ओर से अदालत में चुनौती दी गई थी।

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के आगमन की तैयारियों को उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक उन्होंने अधिकारियों को मैक्रों के आवास, सुरक्षा, परिवहन, खानपान, पर्यटन सहित सभी जरूरतों का विशेष ध्यान रखने के लिए दिशा-निर्देश दिए। बैठक में मुख्य सचिव सुधांशु पंत, पुलिस महानिदेशक यू. आर. साहू, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह आनन्द

■ **फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री भी रहेंगे जयपुर दौरे पर।**

■ **सुप्रीम कोर्ट ने आत्मसमर्पण के लिये और समय देने की याचिका खारिज की।**

■ **सुप्रीम कोर्ट ने आत्मसमर्पण के लिये और समय देने की याचिका खारिज की।**

रामलला विग्रह के अनुष्ठान में अरणी मंथन से अग्नि प्रज्वलित

■ **देश के विभिन्न प्रांतों से पधार 121 पंडितों ने हवन कुण्ड में अग्नि प्रज्वलित करने के लिये शुक्रवार को अरणी मंथन किया।**

अयोध्या, 19 जनवरी। अयोध्या में श्रीरामजन्मभूमि पर भव्य मंदिर में विराजमान मनोहारी रामलला के श्यामल विग्रह के अनुष्ठान कार्यक्रम में हवन कुण्ड में अग्नि प्रज्वलित करने के लिये शुक्रवार को अरणी मंथन किया गया। काशी से आये अरुण कुमार दीक्षित ने बताया कि कुश की बनायी हुई कुटिया में 121 ब्राह्मण धार्मिक कर्मकाण्ड कर रहे हैं। सुबह नौ बजे से अरणीमंथन से अग्नि प्रकट हुई। उसके पूर्व गणपति आदि स्थापित देवताओं का पूजन किया गया। झरपल्लों द्वारा सभी शाखाओं का वेद पारायण, देव प्रबोधन, औषधिविद्या, केसराधिव्यास कराया गया। प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान में घृताधिव्यास, कुण्ड पूजन, पंचभूर्त्सत्कार का भी विधिवत् पूजन किया गया। नौ कुण्ड बनाये गये हैं और नौ ग्रहों को पूजा की गयी, जिसमें शीति हवन सम्पन्न हुआ। पांच फुट की वेदी में राम की महापूजा में भगवान को चावल में रखकर उनका धान्याधिव्यास

■ **प्रथम पृष्ठ का शेष**

■ **प्रथम पृष्ठ का शेष**

300 यात्री...

■ **प्रथम पृष्ठ का शेष**

■ **प्रथम पृष्ठ का शेष**

■ **प्रथम पृष्ठ का शेष**

■ **प्रथम पृष्ठ का शेष**

कुमार, प्रमुख शासन सचिव सामान्य प्रशासन विभाग दिनेश कुमार, प्रमुख शासन सचिव पर्यटन गायत्री ए. राठौड़, प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास एवं आवासन टी. रविचान, जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित, पुलिस आयुक्त बीजू जॉर्ज जोसफ के. एवं आयुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण मंजू राजपाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

■ **प्रथम पृष्ठ का शेष**

■ **प्रथम पृष्ठ का शेष**

■ **प्रथम पृष्ठ का शेष**

■ **प्रथम पृष्ठ का शेष**

■ **प्रथम पृष्ठ का शेष**

■ **प्रथम पृष्ठ का शेष**

■ **प्रथम पृष्ठ का शेष**

■ **प्रथम पृष्ठ का शेष**

300 यात्री...

■ **प्रथम पृष्ठ का शेष**

■ **प्रथम पृष्ठ का शेष**

■ **प्रथम पृष्ठ का शेष**

■ **प्रथम पृष्ठ का शेष**